भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 577

जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

577 श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सडक दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं या उनका समर्थन कर रहा है, और चल रहे अध्ययनों या पूर्ण हो चुके अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली, स्वचालित ब्रेकिंग, सड़क सेंसर या दुर्घटना का पता लगाने वाले उपकरणों जैसी परीक्षण की जा रही प्रौद्योगिकियों, कार्यप्रणालियों या प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसंधान एवं विकास कार्यों और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों का राज्य-वार और राजमार्ग-वार प्राथमिकता निर्धारण क्या है; और

(घ) दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अनुसंधान परिणामों को सडक प्रारूपण, यातायात नियमों, जन जागरूकता अभियानों और सुरक्षा नीतियों के साथ एकीकृत करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईआरएस) की स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास में की है ताकि देश में सड़क सुरक्षा की सर्वोत्तम पद्धतियों को लाया जा सके और शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग किया जा सके। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) कार्य मानकों, दिशानिर्देशों, मैनुअल, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के पद्धति संहिताओं के साथ-साथ सड़क और पुल कार्यों के लिए विशिष्टताओं के अनुसार किए जाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(ख) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियों (एटीएमएस) की तैनाती की परिकल्पना करती है। एटीएमएस में एआई-आधारित वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम (वीआईडीईएस), ऑटोमेटिक नंबर प्लेट

रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे, पैन टू ज़ूम (पीटीजेड) कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, प्रवर्तन, घटनाओं का शीघ्र पता लगाने और वास्तविक समय में क्षेत्र प्रतिक्रिया के लिए निगरानी कैमरे शामिल हैं। वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की जाती हैं, जिनमें मध्यम और भारी ड्यूटी वाहनों में सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं के लिए नियम प्रकाशित करना शामिल है, जो ब्रेक प्रणाली का प्रावधान करते हैं, जिसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग, एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और चौपहिया (क्वाड्रिसाइकिल) के लिए एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम (1 जनवरी, 2027 से नए मॉडलों के लिए और 1 अक्टूबर, 2027 से मौजूदा मॉडलों के लिए प्रभावी) और उन्नत चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस) जिसमें वाहन स्थिरता प्रणाली (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), ड्राइवर तंद्रा और ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए गति से बाहर निकलने की सूचना प्रणाली (1 अक्टूबर, 2027 से नए मॉडलों के लिए और 1 जनवरी, 2028 से मौजूदा मॉडलों के लिए प्रभावी) शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च मृत्यु दर वाले गलियारों की पहचान की है और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए साइट की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार-प्रसार (एडवोकेसी) कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और उसे मजबूत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है। इस महीने के दौरान, जन जागरूकता अभियान, पैम्फलेट का वितरण, हेलमेट का वितरण आदि किया जाता है ताकि सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम किया जा सके।

******